2. केन्द्र के समक्ष राजस्थान की मांगें रखते हुए राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग को प्राथमिकता दी जाए।
3. अनिवार्य शिक्षा कानून की पालना में राज्य की प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा राजस्थानी किया जाय।
4. विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में राजस्थानी शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं एवं जहां विभाग नहीं है वहां खोले जाएं।
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनिवार्य व ऐच्छिक विषय के रूप में राजस्थानी शुरू किया जाय।
6. सरकारी खरीद में राजस्थानी की पुस्तकों का प्रतिशत तय किया जाय।
7. सरकारी आयोजनों में राजवुड व अन्य राजस्थानी कलाकारों एवं कवियों को ही बुलाया जाय।
8. राजस्थान रोड़वेज के दरवाजों पर 'पधारो सा' एवं बसों पर 'पधारो म्हारै देस' लिखा जाय।
9. राजस्थानी अकादमी को सिरमौर अकादमी घोषित की जाय एवं इसका बजट 5 करोड़ किया जाय, साथ ही अकादमी अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाय।
10. राजस्थानी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाय।
11. राजस्थानी फिल्मों हेतु अनुदान दिया जाय।
12. राजस्थानी फिल्म शूटिंग लोकेशन फ्री की जाय।
13. प्रदेश के सिनिमाघरों में राजस्थानी फिल्म सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से दिखाने का नियम बनाया जाय।
14. राजस्थानी फिल्म डवलपमेन्ट कार्पोरेशन का गठन किया जाय।
15. सरकारी विभागों के विज्ञापन राजस्थानी में प्रसारित किए जाय।
16. राजस्थानी में स्लेट परीक्षा शुरू की जाय।
17. राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (RTET) में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए।
18. प्रदेश में योजनाओं या संस्थानों आदि के होने वाले नामकरणों में राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास से जुड़े महापुरुषों के नामों को ही प्राथमिकता दी जाए।

हम सरकार से राजस्थानी भाषा–संस्कृति के सवाल पर अपील करते हैं कि वे अपना मायड़भाषा के प्रति फर्ज निभाएं। कोई भी सरकार जनवाणी का सम्मान करके ही जनप्रिय व सच्ची जनतंत्री हो सकती है। जनवाणी की उपेक्षा से जनभावना की उपेक्षा होती है। जनतंत्र की जड़ें कमजोर होती है।

जै राजस्थान, जै राजस्थानी।

भवदीय